

28/11/22

14/7/22
28/5

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

लालचन्द बनाम रामरखा वगैरा

अपील प्रकरण सं० 23/2021

गुरुजीन सिंह

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
4.06.2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 28.06.2021 को पेश हो।	122/2021 14/6
28.6.21	पीठासीन अधिकारी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश की जायेगी।	
19/7/21	पीठासीन अधिकारी अवकाश समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 3/8/21 को पेश हो।	
3/8/21	पीठासीन अधिकारी अवकाश समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 21/8/21 को पेश हो।	
31/8/21	पीठासीन अधिकारी अवकाश समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 1/9/21 को पेश हो।	
17/9/21	पीठासीन अधिकारी अवकाश समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 6/10/21 को पेश हो।	
6/10/21	पीठासीन अधिकारी अवकाश समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 16/11/21 को पेश हो।	28/3 8/11
16/11/21	पीठासीन अधिकारी अवकाश समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 10/12/21 को पेश हो।	
19/12/21	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभावक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/1/22 को पेश हो।	
21/1/22	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभावक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 07/2/22 को पेश हो।	
	पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 23/2/22 को पेश हो।	

13/11/24

पोलागोन अधिवक्ती आवाजास काल पर
कावे पत्रावली पेश करतान के अभिभावक उपस्थित
हे पत्रावली दिनांक 04/12/24 को पेश हो

3

04/12/24 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु अतमा-चाहा
गया, जो जिया गया। पत्रावली वास्तु बहस
जिांक 27/01/25 को पेश हो
3

07/1/25 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु अतमा-चाहा
गया, जो जिया जावे। पत्रावली वास्तु बहस जिांक
05/3/25 को पेश हो
3

5/3/2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं
उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं को
पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर बार-बार आवाजे लगाई
गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम
हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति
सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड
लौटाया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम
की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई
जावे।

आदेश सुनाया गया।

3
(सुभाष कुमार)

अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।